



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

पोस्ट द्वारा

आदेश

द्वारा पारित

के मामले में

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) और
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
ए ब्लॉक राजीव गांधी भवन
सफ्टरजंग हवाई अड्डा
नई दिल्ली 110003

~~श्री सुनील कुमार सिंह~~
~~कानून की शहरी न्यायाधीश~~
~~नई दिल्ली-110003~~

Order No: ~~110003~~/Appeal/ED (Admn)/2024

~~110003~~, 2024

1.0 प्रस्तावना

1.1 यह आदेश सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 के तहत किया गया है।

1.2 अपील उस तारीख से 90 दिनों के भीतर दायर की जा सकती है जिस दिन यह आदेश दिया जाना चाहिए था या वास्तव में प्राप्त हुआ था।

2.0 तथ्य

2.1 ~~श्री सुनील कुमार सिंह~~ ने ऑफलाइन के माध्यम से एक आरटीआई dated 08.11.2024 द्वारा निम्नलिखित जानकारी प्रदान करने का अनुरोध किया है।

1. आपके विभाग में पिछले 2019 से अब 2024 तक का कुल कितने आउट रीरसिस कोटेक्टर दिये गए हैं इन सभी कंपनियों की संपूर्ण जानकारी वर्ष सहित कंपनियों के नाम पता फोन एवं किस किस कार्य हेतु दिए गए हैं। उसकी संपूर्ण जानकारी दें।

2. इन सभी ठेकेदारों को दिए गए अनुबंधों की वर्षानुसार 2019-24 तक के अनुबंध कॉपी दें।

3. इन सभी ठेकेदारों को दिए गए अनुबंधों की वर्षानुसार 2019-24 तक के अंतर्गत कार्यरत सभी कर्मचारियों की अनुबंधों के अनुसार कर्मचारियों का नाम पितर का नाम फोन नं. पता तथा पद का नाम एवं पद पर लगने की एवं हटने की संपूर्ण जानकारी अनुबंधों के अनुसार दें।

4. आपके विभाग एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राजीव गांधी भवन, सफदरजं, एयरपोर्ट, नई दिल्ली 110003 के अंतर्गत आने वाले सभी विभागों की सम्पूर्ण जानकारी प्रश्न नंबर 1, 2, एवं 3 के अनुरूप दें।

5. क्या 2019-24 में सविदा श्रम अधिनियम 1970 का पालन किया गया था? यदि हाँ तो उसके लाइसेन्स की फोटो कॉपी प्रदान करें।

क. यदि नहीं तो क्यों नहीं किया गया? इसके बारे में पूरी जानकारी प्रदान करें।

2.2 अपीलकर्ता ने एक ऑफलाइन प्रथम अपील दिनांक 06.12.2024 के माध्यम से सूचित किया है कि संपूर्ण प्रश्नों के उत्तर के बारे में जानकारी उनके पास उपलब्ध नहीं है, और कोई सूचना नहीं दी गई है। और इस बारे में प्रथम अपील दायर की है।

3.0 निष्कर्ष/आदेश

3.1 मामले को देखने के बाद, यह पाया गया है कि सीपीआईओ/ श्रीमती अमिता वर्मा महाप्रबंधक प्रशा. ने अपीलकर्ता को पत्र संख्या बी.2014/4/2024, दिनांक 03.12.2024 के माध्यम से उत्तर प्रदान किया है।

3.2 सीपीआईओ/ श्री वी. के. गुप्ता महाप्रबंधक प्रशा. द्वारा दिया गया उत्तर सही है। तदनुसार, ऑफलाइन के माध्यम से प्राप्त अपील दिनांक 06.12.2024 को निस्तारित किया जाता है।

3.3 यदि अपीलकर्ता प्रथम अपीलकर्ता प्राधिकारी के उत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो अपीलकर्ता सीआईसी भवन, बाबा गंगा नाथ मार्ग, स्टाफ क्वार्टर, पुराना जेएनयू परिसर, मुनिरका, नई दिल्ली, दिल्ली 110067 में दूसरी अपील के लिए संपर्क कर सकता है।

(माया लवानिया)
कार्यपालक निदेशक (प्रशासन) और
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

श्री. तुलसी सिंह देव, महाप्रबंधक प्रशा. सीआईसी भवन, बाबा गंगा नाथ मार्ग, स्टाफ क्वार्टर, पुराना जेएनयू परिसर, मुनिरका, नई दिल्ली, दिल्ली 110067

श्री. वी. के. गुप्ता, महाप्रबंधक प्रशा. सीआईसी भवन, बाबा गंगा नाथ मार्ग, स्टाफ क्वार्टर, पुराना जेएनयू परिसर, मुनिरका, नई दिल्ली, दिल्ली 110067